Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

GCMS 2021/41

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

असगर आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा......34/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/21	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी असगर आदि द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल कालवास के चक 14LKD के खाता संख्या 105 में मु.नं. 52/47 में किला नम्बर 17/1 में रकबा 1.0 बीघा, 18/2 में रकबा 1.0 बीघा, 22/2 में रकबा 1.0 बीघा, 23/2 में रकबा 1.0 बीघा, 24/2 में रकबा 1.0 बीघा, 25/2 में में रकबा 1.0 बीघा दर्ज रिकोर्ड हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 156 में मु.नं. 52/47 के किला नम्बर 17/1 में 1.0 बीघा, 18/1 में 1.0 बीघा, 22/1 में 0.18 बीघा, 23/1 में 0.18 बीघा, , 24/1 में 0.18 बीघा, 25/1 में 0.18 बीघा अनकमाण्ड दर्ज रिकॉर्ड हैं। गिरदावरी सम्वत 2032–35 में मु. नं. 52/47 किला नम्बर 17,18,22,23,24,25 में महमूद खां के नाम से दर्ज हैं। जिसका विरास्तन होने के बाद उक्त रकबा वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 105 में यासीन मोहम्मद वगैराह पि0 महमुद खां मुसलमान के नाम से दर्ज हैं। जबकि खाता संख्या 156 का रकबा गिरदावरी सम्वत् 2032–35 में उक्त रकबा 52/42 में रूकनदीन पुत्र बींझा मुसलमान के नाम से किला नम्बर 17,18,21ता25 दर्ज रिकोर्ड हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 में भी उक्त रकबा 52/42 में ही दर्ज हैं। इसलिए खाता संख्या 156 का रकबा मु.नं. 52/47 न होकर 52/42 में किया जाना उचित हैं। 52/42 में किला नम्बर 17,18,22ता25 का रकबा किसी भी खाते में दर्ज नहीं हैं। अतः रिकोर्ड के अनुसार मु.नं. को शुद्ध किया जाना उचित हैं की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया । प्रस्ताव में पटवार हल्का कालवास की रिपोर्ट व भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट चक 14 एलकेडी के खाता संख्या 156 के मु.नं. 52/47 के स्थान पर 52/42 दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagirath Shakh Date: 2021.07.29 12:04:23 IST Reason: SelfAttested 12/2/2021 (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	